राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील आबकारी–2102/2014/भरतपुर.

सुखबिन्दर सिंह, मैनेजर, सन्धुरोड लाइन्स, बाजपुर निवासी ग्राम गुलडिया भिन्डरा पी.एस. नेवरिया जिला पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) .....अपीलार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये, आबकारी आयुक्त, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री कृष्ण गोपाल खत्री, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/02/2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण क्रमांक प.29(बी)(62)पीएस/वाहन/आब/2014/4196 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 13.10.2014 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से अपीलार्थी के विरूद्ध रूपये 7,00,000/– की जुर्माना राशि का आरोपण किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आबकारी अधिकारी, जयपुर द्वारा जारी आयात परमिट (एफ.एल.5) संख्या जे.पी.आर. 456769 दिनांक 08.07.2014 के क्रम में मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, आसवन इकाई सम्पूर्णा नगर खीरी (उत्तर प्रदेश) से मैसर्स संधू रोड़ लाईन्स के टेंकर नंबर यू.पी. 25–टी–7237 में 25000 बल्क लीटर शोधित प्रासव (स्प्रिट) भरकर दि.12.08.2014 को पास संख्या 49 दिनांक 12.08.2014 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, झोटवाड़ा, जयपुर गोदाम के लिये रवाना किया गया। परिवहन के दौरान भरतपुर जिले के हलैना पुलिस थाना क्षेत्र में टेंकर चालक मोहम्मद अक्सर को अन्य सात लोगों के साथ इस टेंकर में से करीब 1250 लीटर शोधित प्रासव चोरी करते हुये तथा इस चोरी किये गये प्रासव को खुर्द बुर्द करने के कृत्य में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 16/54 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी एवं 407 के अपराध कारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया तथा टेंकर को पुलिस कब्जे में लिया। अभियुक्तगण मोहम्मद अक्सर, यादराम, सुरेश, लालाराम, टंटोली, मदुनाथ, निरंजन एवं मोतीराम नाम के आठ अभियुक्तों के विरूद्ध प्रथम सूचना 196 दिनांक 14.08.2014 पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर में दर्ज हुई। पुलिस थाना हलैना द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध ए.सी.जे.एम. वैर जिला भरतपुर के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा वाहन को मय माल के जब्त किया गया एवं सूचना जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर को प्रेषित की गई। प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष वाहन छुड़ाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दि.13.10.2014 द्वारा जुर्माना राशि रूपये 7,00,000/– अधिनियम की धारा 16/54 के तहत् वाहन मालिक पर आरोपित की। उक्त राशि को अण्डर प्रोटेस्ट जमा कराते हुए अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 9A के तहत् कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

तत्पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अभिग्रहित शोधित प्रासव को रिलीज करने हेतु दिनांक 21.10.2014 को आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 69(2बी) के अन्तर्गत सुनवाई करने के उपरांत आदेश दिनांक 28.11.2014 द्वारा जिला आबकारी अधिकारी ने शोधित प्रासव पर अपीलार्थी का स्वामित्व मानते हुए तथा इस शोधित प्रासव का वैध दस्तावेजों के आधार पर परिवहन किया जाना पाये जाने पर राजसात किये जाने योग्य नहीं माना तथा शोधित प्रासव को रिलीज करते हुए अपीलार्थी को सुपूर्द किया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि आदेश दि. 13.10.2014 के अन्तिम पृष्ट पर आबकारी आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया है कि ''उक्त वाहन टेंकर रजि. नं. यू.पी. 25–टी–7237 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के प्रावधान के तहत् आबकारी योग्य वस्तुओं के वैध परमिट की आड़ में तस्करी किये जाने से अधिहरण योग्य होना'' अंकित किया है। यह अभिनिर्धारित करने में आबकारी आयुक्त ने तथ्यों को कानूनी प्रावधानों की मंशा के अनुसार परीक्षण करने तथा अवधारणा अभिनिर्धारित करने में कानूनी भूल की है।

4. प्रकरण वैध परमिट से अपीलार्थी द्वारा मैसर्स राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के लिये परिवहन अनुबंध के आधार पर किसान सहकारी चीनी मिल्स समपूर्णा नगर खीरी उत्तर प्रदेश से शोधित प्रासव प्राप्त कर अपीलार्थी के वाहन टेंकर नंबर यू.पी. 25–टी–7237 में भरकर परिवहन किये जाने से संबंधित हैं। शोधित प्रासव प्राप्ति एवं परिवहन के लिए अधिनियम की धारा 14 एवं 15 में प्रावधान दिया गया है, इन प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलार्थी ने सक्षम आबकारी अधिकारी के द्वारा जारी आयात परमिट (एफ. एल.5) नं. जे.पी.आर. 456769 दिनांक 08.07.2014 तथा निर्यातक राज्य के सक्षम आबकारी अधिकारी द्वारा जारी पास सं. 49 दिनांक 12.08.2014 के आधार पर 25000 ब.ली. शोधित प्रासव टेंकर में भरकर परिवहन किया है। इसलिए अपीलार्थी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शोधित प्रासव का कब्जा एवं परिवहन पूर्ण रूप से विधिक दस्तावेजों के आधार पर किया गया हैं। इस स्थिति में आबकारी आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 13.10.2014 में अधिहरित वाहन टेंकर नं. यू.पी. 25–टी–7237 को तस्करी में लिप्त मानकर कानूनी भूल की है।

5. अधिनियम की धारा 69 में आबकारी अपराधों में प्रयुक्त वाहन को राजसात किये जाने का विधिक प्रावधान है। इस धारा के प्रथम परन्तुक में आबकारी आयुक्त के समक्ष वाहन स्वामी द्वारा उसकी अपराध में संलिप्तता नहीं पाये जाने तथा उसके द्वारा अपराध घटित होने से बचाव में पूर्ण सतर्कता बरतने का तथ्य प्रमाणित होने पर आबकारी आयुक्त वाहन को राजसात नहीं करके मुक्त कर सकते हैं। वाहन के द्वारा विधिक दस्तावेजों के अन्तर्गत प्राप्त शोधित प्रासव का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन किया जा रहा था, इसलिए वाहन आबकारी वस्तु के अवैध परिवहन में प्रयुक्त नहीं हुआ। ऐसे में वाहन का आबकारी अपराध के घटित होने में दुरूपयोग नहीं किया गया। वाहन चालक द्वारा टेंकर की सील खोल कर उसमें से शोधित प्रासव का अन्य पात्र में निकाल कर उस पात्र में रखी शोधित प्रासव को वाहन चालक के अवैध कब्जे से बरामद किये जाने से वाहन

लगातार.....3

चालक द्वारा अधिनियम की धारा 16/54 एवं भारतीय.दण्ड.संहिता की धारा 120 बी एवं 407 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित होने पर प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस थाना हलैना द्वारा टेंकर ड्राइवर मोहम्मद अक्सर एवं अन्य 7 साजिशकर्ता अपराधियों के विरूद्ध उक्त आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। चालान प्रस्तुत करते समय वाहन स्वामी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 54 A अथवा अन्य किसी विधिक प्रावधान के अन्तर्गत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह तथ्य वाहन स्वामी का आपराधिक कृत्य में किसी भी प्रकार संलिप्त नहीं होने को प्रमाणित करता है। आबकारी आयुक्त द्वारा इस विधिक प्रावधान एवं प्रकरण में प्रस्तुत चालान में अपीलार्थी को आरोपित नहीं करने की स्थिति की अनदेखी कर अपीलांट को उत्तरदायी ठहराये जाने पर विधिक त्रुटि की है।

साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 69 की उपधारा 8(c) में न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी को आरोपित आरोप से निर्दोष करार दिये जाने पर राजसात वाहन को राजसात से मुक्त कराने के लिए जमा करायी गयी जुर्माना राशि को वाहन स्वामी को वापिस लौटाये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। यहां यह तथ्य अति महत्वपूर्ण है कि प्रश्नगत वाहन के वाहन स्वामी को अभियोग संख्या 196 दिनांक 14.08.2014 में प्रस्तुत चालान में अभियुक्त नहीं माना गया है। इस स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित जुर्माना राशि रू. 7,00,000/– अक्षरे रूपये सात लाख लौटाये जाने योग्य हैं। जहां राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 69 (8)(c) में न्यायालय द्वारा निर्दोष निर्णित किये जाने पर वाहन स्वामी जमा कराये गये राशि को प्राप्त करने का हकदार है। प्रश्नगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने वाहन स्वामी तथा वाहन की अपराध में संलिप्तता नहीं पाये जाने की स्थिति में अपीलार्थी का वाहन राजसात किये जाने योग्य नहीं होते हुए भी आबकारी आयुक्त ने वाहन को राजसात करने में कानूनी प्रावधान की अनदेखी की है।

7. आबकारी आयुक्त ने प्रश्नगत वाहन को तस्करी में लिप्त मानकर राजसात किया है, उसी वाहन में भरी एवं परिवहन की जा रही शोधित प्रासव को जिला आबकारी अधिकारी ने अपीलार्थी का विधिक कब्जा एवं अपीलार्थी द्वारा विधिक परिवहन मानते हुए अपने आदेश दिनांक 28.11.2014 द्वारा अपीलार्थी को सुपुर्द किया है। साथ ही एफ.आई. आर. दिनांक 14.08.2014 द्वारा प्रस्तुत चालान में सम्मिलित अभियुक्तों में वाहन स्वामी का नाम सम्मिलित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वाहन स्वामी का कोई दोष नहीं है एवं ना ही आबकारी विभाग द्वारा कोई दोष सिद्ध किया गया है। अपने तर्कों के समर्थन में **उन्होंने कर बोर्ड की खण्डपीठों द्वारा पारित निर्णय आबकारी निगरानी संख्या 697/2009/झुन्झुनू ओमप्रकाश बनाम आबकारी आयुक्त निर्णय दिनांक 18.8.2009 एवं अपील संख्या 890/2012/झालावाड नन्दकिशोर बनाम आबकारी आयुक्त निर्णय दिनांक 09.01.2013** प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत अपील को स्वीकारते हुए, आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 13.10.2014 अपास्त करते हुए, अपीलार्थी द्वारा अण्डर प्रोटेस्ट जमा करवायी गई राशि रूपये 7,00,000/– रिफण्ड किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

लगातार.....4

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 13.10.2014 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। प्रकरण में वाहन के द्वारा विधिक दस्तावेजों के अन्तर्गत प्राप्त शोधित प्रासव का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन किया जा रहा था। परिवहन के दौरान वाहन चालक द्वारा टेंकर की सील खोल कर उसमें से शोधित प्रासव का अन्य पात्र में निकाल कर उस पात्र में रखी शोधित प्रासव को वाहन चालक के अवैध कब्जे से बरामद किये जाने से वाहन चालक द्वारा अधिनियम की धारा 16/54 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी एवं 407 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित होने पर प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस थाना, हलैना द्वारा टेंकर ड्राइवर मोहम्मद अक्सर एवं अन्य 7 साजिशकर्ता अपराधियों के विरूद्ध उक्त आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69(4) के अन्तर्गत राजस्थान वाहन संख्या यू.पी.–25टी–7237 को छुडवाने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आबकारी आयुक्त राजस्थान ने निम्नानुसार आदेश पारित किया है :–

"मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सभी तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध दस्तावेज आदि का अध्ययन किया गया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार उक्त वाहन टेंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी–25–टी–7237 को वैध परमीट की आड में टेंकर में नली डालकर स्प्रीट निकालते हुए तीन व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया एवं मौके पर पुलिस द्वारा एक बोलेरों गाडी, एक मारूति कार एवं एक मोटर साईकिल को भी जब्त किया गया तथा साथ ही मौके पर 13 जरीकेन एवं तीन ड्रमों में भरी कुल 1150 लीटर स्प्रीट बरामद की गई। इस प्रकार वाहन टेंकर संख्या यूपी–25–टी–7237 को शेष स्प्रीट के साथ जब्त किया गया, एवं इसी आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना–हलैना, जिला भरतपुर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के अन्तर्गत दर्ज आबकारी प्रकरण में उक्त वाहन को जब्त किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वाहन स्वामी ने अपने वाहन को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69(4) के प्रथम प्रोविजों के अन्तर्गत अपने वाहन को आबाकारी अधिनियम के अन्तर्गत घटित अपराध में प्रयुक्त होने से बचान अथवा सावधानी बरती हो, इस स्थिति में वाहन अधिहरण (Confiscate) किया जाना विधिसम्मत है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक की अवधि में प्रतिवर्ष क्रमशः 283, 370, 379, 381 एवं 326 वाहन अवैध रूप से मदिरा परिवहन में प्रयुक्त होने के कारण आबकारी अपराधों में जब्त किये गये है। यह आंकडे अवैध शराब की तस्करी में वाहनों के प्रयुक्त होने की वारदातों में वृद्धि होने प्रमाणित करते है। अपराधियों की इस मनोवृति पर अंकुश लगाने के लिए जब्त वाहनों पर न्यायसंगत जुर्माना राशि आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इससे अपराधियों की अवैध शराब की तस्करी करने की प्रवृति में विकर्षण होगा। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में इस तरह के अवैध मदिरा परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु भयोपरोधी निवारक (Deterrent) प्रावधान है, तथा इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को हतोत्साहित (Demoralise) करना है जो मदिरा के अवैध व्यवसाय में लिप्त है।

लगातार.....5

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 के प्रावधानों अनुसार आबकारी योग्य वस्तुओं के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर उनके वर्तमान बाजार मूल्य तक जुर्माना राशि आरोपित की जा सकती है। इस कारण में आवेदक द्वारा THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. पॉलिसी संख्या 34060231130100002740 दिनांक 30.12.2013 की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसमें वाहन का बाजार मूल्य 7,50,000/– रूपये दर्शाया गया है। उक्त वाहन टेंकर रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी–25टी–7237 राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आबकारी योग्य वस्तुओं के वैध परमिट की आड में तस्करी किये जाने से अधिहरण योग्य है, तदनुसार वाहन के अधिहरण से मुक्ति के विकल्प में जुर्माना राशि वाहन के बाजार मूल्य एवं प्रार्थी द्वारा किये गये अपराध को मध्यनजर रखते हुए वाहन स्वामी पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपित की जानी है। अतः उक्त जब्त वाहन पर रूपये 7,00,000/– (रूपये सात लाख मात्र) जुर्माना राशि आरोपित की जाती है। यह आदेश राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 16/54 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग के अध्ययधीन किया गया है।"

राजसात किये गये वाहनों के सम्बन्ध में आबकारी अधिनियम के तहत धारा 69 सम्बन्धित प्रावधान निम्न प्रकार से प्रावधित किये गये है :–

"69. What things are liable to confiscation - (1) Whenever an offence punishable under this Act has been committed-

(e) every animal, cart, veesel, raft or other conveyance used in carrying such receptacle or package, shall be liable to confiscation."

एवं धारा 69(6) निम्न प्रकार से प्रावधित है :–

"(6) Whenever any means of conveyance as referred to in clause (e) of sub-section(1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Excise Commissioner or any officer authorised in this behalf by the State Government shall have, and, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force any court, tribunal or other authority sahll not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal, relase of such means of conveyance."

उपरोक्त बाध्यकारी प्रावधानों के दृष्टिगत आबकारी विभाग द्वारा आबकारी योग्य वस्तुओं के वैध परमिट की आड में तस्करी किये जाने पर अधिहरण (Confiscate) किये गये वाहनों पर किसी भी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसे वाहन स्वामित्व, सुपुर्दगी, निष्पादन और छोडने सम्बन्धी मामलों पर आदेश पारित नहीं कर सकते है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण यहां लागू नहीं किये जा सकते है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

21.2.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष